



उन्नाव पुलिस

प्रेस नोट, दिनांक 02.09.2021
थाना कोतवाली सदर, जनपद उन्नाव ।

दो शातिर लुटेरे गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव व श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय नगर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली सदर पुलिस व स्वाट टीम द्वारा दो शातिर लुटेरों को लूटे गये दो अदद पीली धातु के टप्स , दो अदद पायल सफेद धातु तथा मो0सा0 नं0 UP 77 AH 0714 धारा 207 MV ACT बरामद कर गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण:- दिनांक 25.08.2021 समय 13.00 बजे श्रीमती गंगादेई पत्नी बचन्नु निवासिनी ग्राम भौनीखेडा थाना कोतवाली जिला उन्नाव के साथ एक मोटर साइकिल सवार दो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा भौनीखेडा चौराहे के पास से प्रार्थिनी को रोककर उसके दो टप्स सोने के व पैर में पहने पायल चाँदी के लूट लिये गये थे , जिसमें प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली सदर में मु0अ0सं0 668/21 धारा 392 भा0दं0वि0 पंजीकृत किया गया ।



आज दिनांक 02.09.2021 को उ0नि0 हसमत अली व उ0नि0 धर्मेन्द्र सिंह मय हमराह हे0का0 चक्रपाल सिंह , का0 प्रवीण चौरसिया व का0 कृष्णानन्द मौर्य तथा स्वाट टीम के हे0का0 खैरुल बसर व हे0का0 रोहित शर्मा के द्वारा अभियुक्त 1.नाजिम पुत्र रहीश निवासी निबिया खेडा थाना घाटमपुर जनपद-कानपुर नगर , हालपता-बन्धूहार सिविल लाइन थाना कोतवाली सदर उन्नाव उम्र 48 वर्ष 2.इरफान पुत्र यासिन निवासी नौरंगाबाद थाना रूरा, जनपद कानपुर देहात उम्र करीब 28 वर्ष को नहर पुल आदर्श नगर के पास से मु0अ0सं0-668/2021 धारा 392 भादवि थाना कोतवाली उन्नाव की वादिनी मुकदमा से लूटे गये माल दो अदद पीली धातु के टप्स , दो अदद पायल सफेद के साथ मय मो0सा0 नं0 UP 77 AH 0714 अन्तर्गत धारा 207 MV ACT के गिरफ्तार किया गया ।

नाम पता अभियुक्त-

- 1.नाजिम पुत्र रहीश निवासी निबिया खेडा थाना घाटमपुर जनपद-कानपुर नगर , हालपता-बन्धूहार सिविल लाइन थाना कोतवाली सदर उन्नाव उम्र 48 वर्ष
- 2.इरफान पुत्र यासिन निवासी नौरंगाबाद थाना रूरा, जनपद कानपुर देहात उम्र करीब 28 वर्ष

बरामदगी का विवरण:-

दो अदद पीली धातु के टप्स , दो अदद पायल सफेद धातु तथा मोसा नं० UP 77 AH 0714 अन्तर्गत धारा 207 MV ACT

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि० श्री हसमत अली थाना कोतवाली सदर
2. उ०नि० श्री धर्मेन्द्र सिंह थाना कोतवाली सदर
3. हे०का० चक्रपाल सिंह थाना कोतवाली सदर
4. का० प्रवीण चौरसिया थाना कोतवाली सदर
5. का० कृष्णा नन्द मौर्या थाना कोतवाली सदर
6. हे०का० खैरूल बसर (स्वाट टीम उन्नाव)
7. हे०का० रोहित शर्मा (स्वाट टीम उन्नाव)



उन्नाव पुलिस

प्रेस नोट, दिनांक 02.09.2021
थाना बीघापुर जनपद उन्नाव ।

वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव व श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय बीघापुर के कुशल पर्यवेक्षण में वांछित / वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना बीघापुर पुलिस द्वारा एक गैर जमानती वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण:- आज दिनांक 02.09.2021 को उ0नि0 उमेश कुमार त्रिपाठी मय हमराह फोर्स द्वारा मा0 न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट द्वितीय उन्नाव से जारी एनबीडब्लू एसटी नं0 124/2018 धारा 352/354/504/506 भा0दं0वि0 व 7/8 पॉक्सो अधिनियम से संबन्धित अभियुक्त अजीत कुमार पुत्र रामरेश पासी उम्र करीब 24 वर्ष नि0 ग्राम द्वारिकापुरी ओसिया थाना बीघापुर जनपद उन्नाव को गिरफ्तार किया गया।



नाम पता अभियुक्त-

- 1- अजीत कुमार पुत्र रामरेश पासी उम्र करीब 24 वर्ष नि0 ग्राम द्वारिकापुरी ओसिया थाना बीघापुर जनपद उन्नाव

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ0नि0 उमेश कुमार त्रिपाठी
- 2- हे0का0 रामपाल सिंह
- 3- का0 सुनील कुमार
- 4- रि0का0 ऋषभ



उत्तराव पुलिस

प्रेस नोट, दिनांक 01.09.2021
थाना पुरवा जनपद उत्तराव ।

चोरी का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय उत्तराव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय उत्तराव व श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय पुरवा के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना पुरवा पुलिस द्वारा चोरी के वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण:- दिनांक 29.02.2020 की रात्रि में कुलदीप अपने साथी सरफराज के साथ मिलकर ग्राम चमियानी स्थित वादी के मोबिल की दुकान में ताला तोड़कर टच मोबाइल व



कीपैड मोबिल आदि चोरी कर लिया था। दिनांक 02.03.2020 को वादी श्री अजीत कुमार पुत्र श्री राजाराम नि० शिवदीनखेड़ा म० मगरायर थाना बीघापुर जनपद उन्नाव की लिखित तहरीर के आधार पर थाना पुरवा पर मु०अ०सं० 72/2020 धारा 380/457 भा०दं०वि० पंजीकृत हुआ था। सरफराज पुत्र मेहराज नि० जिन्दवाड़ी कस्बा व थाना पुरवा जनपद उन्नाव को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

दिनांक 31.08.2021 को मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त कुलदीप पुत्र शत्रोहन नि० विशुनखेड़ा थाना पुरवा जनपद उन्नाव को उ०नि० थान सिंह मय हमराह फोर्स द्वार विशुनखेड़ा मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया।

नाम पता अभियुक्त-

1- कुलदीप पुत्र शत्रोहन नि० विशुनखेड़ा थाना पुरवा जनपद उन्नाव

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि० श्री थान सिंह
2. का० विनित कुमार



उन्नाव पुलिस

प्रेस नोट, दिनांक 01.09.2021
थाना अचलगंज, जनपद उन्नाव ।

चोरी की स्कूटी सहित दो अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव व श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय बीघापुर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना अचलगंज पुलिस द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग के दौरान चोरी की स्कूटी के साथ दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण:- दिनांक 31.08.2021 को हे०का० अनिल कुमार मय हमराह द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों/ वाहनों की चेकिंग के दौरान बन्दीपुरवा



तिराहे से अभियुक्त 1. मोनू सिंह सेंगर उर्फ पूता पुत्र अमर सिंह नि० म०नं० 377 वार्ड 72 बाबा की बगिया दबौली वेस्ट थाना गोविन्दनगर जनपद कानपुर नगर 2. मो० दानिश उर्फ अल्बत पुत्र महमूद गजनवी नि० पूरा बहादुर थाना कोतवाली देहात जनद हरदोई हाल पता आजाद नगर थाना गंगाघाट जनपद उन्नाव को एक अदद चोरी की स्कूटी यूपी 32 एफडी 6662 बरामद कर गिरफ्तार किया गया, स्कूटी की चोरी के संबन्ध में जनपद कानपुर नगर के थाना

कर्नलगंज में मु०अ०सं० 144/21 धारा 379 भा०दं०वि० बनाम अज्ञात पंजीकृत है। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना अचलगंज पर मु०अ०सं० 263/21 धारा 41 सीआरपीसी व 411 भा०दं०वि० पंजीकृत किया गया।

नाम पता अभियुक्त-

1. मोनू सिंह सेंगर उर्फ पूता पुत्र अमर सिंह नि० म०नं० 377 वार्ड 72 बाबा की बगिया दबौली वेस्ट थाना गोविन्दनगर जनपद कानपुर नगर
2. मो० दानिश उर्फ अल्बत पुत्र महमूद गजनवी नि० पूरा बहादुर थाना कोतवाली देहात जनद हरदोई हाल पता आजाद नगर थाना गंगाघाट जनपद उन्नाव

बरामदगी का विवरण:-

1. एक अदद चोरी की स्कूटी UP 32 FD6662

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. हे०का० अनिल कुमार
2. का० रामबरन चन्देल